

प्रश्न सं. [क. 2431]

— कल्याण, मध्यप्रदेश

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2431 द्वारा श्री दिलीप सिंह परिहार से संबंधित जानकारी				
क्रमांक	स्थान	कार्य का नाम	जनप्रतिनिधि जिन्होंने पत्र लिखे उनका नाम	परिशिष्ट पत्रों पर की गई कार्यवाही
1	नगर परिषद कुकडेश्वर	खेल मैदान/स्टेडियम निर्माण कराने बाबत।	मान. श्री सुरेन्द्र पटवा, विधानसभा क्षेत्र कं. 141 रायसेन (म.प्र.)	विभागीय नीति अनुसार विकासखंड मुख्यालय नहीं होने से खेल मैदान/स्टेडियम निर्माण किया जाना संभव नहीं है, तदनुसार मान. विधायक जी को पृष्ठांकन क्रमांक 9632 दिनांक 13.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है।
2	नीमच	जिला मुख्यालय नीमच में खेल अधोसंरचना निर्माण की स्वीकृति।	मान. श्री सुधीर गुप्ता, ससंद सदस्य लोकसभा क्षेत्र मंदसौर (म.प्र.)	मान.सासंद जी को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 9013-14 दिनांक 30.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु दिनांक 06.10.2023 को एस.एफ.सी. की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वित्त विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये, जिसके संदर्भ में शासन द्वारा पुनः एस.एफ.सी. की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। पी.आई.यू. द्वारा वर्ष 2022 के एस.ओ.आर.दर अनुसार प्राक्कलन तैयार किये गये थे, नवीन एस.ओ.आर. दर अनुसार पी.आई.यू. भोपाल से प्राक्कलन चाहे गये है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला खेल कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 609 दिनांक 11.03.2024, एव पत्र क्र. 706 दिनांक 27.06.2024, पुलिस अधीक्षक नीमच के पत्र क्रमांक 719 दिनांक 09.07.2024 द्वारा जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किये गये।
3.	नीमच	नीमच में आवंटित भूमि पर हॉकी एस्टोटर्फ मैदान की स्वीकृति के संबंध में।	मान. श्री दिलीप सिंह परिहार, विधानसभा क्षेत्र कं. 229 जिला नीमच (म.प्र.)	म.प्र.शासन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 04.09.2024 जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 837 दिनांक 28.10.2024 प्रेषित किये गये, जिसके के संदर्भ में न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रमांक प्र.कं. 0035/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 25.03.2025 द्वारा ग्राम पंचायत धनेरिया स्थित भूमि सर्वे नं. 731 रकबा 1.500 हे. मद का.का., सर्वे नं. 732 रकबा 0.200 हे. मद का.का. सर्वे नं. 733 रकबा 0.700 हे. मद बीड, सर्वे नं. 734 रकबा 0.360 हे. मद बीड, सर्वे नं. 735 रकबा 1.240 हे.कुल रकबा 4.000 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग को खेल मैदान/खेल स्टेडियम निर्माण हेतु हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरित भूमि के सीमांकन एवं आधिपत्य प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश